संख्या-25/2026/307/22-4-2026-364199

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 **लखनऊ : दिनांक 19 मार्च, 2026**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में जनपद जौनपुर में नवीन जिला कारागार का निर्माण कराये जाने हेतु तृतीय किश्त की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक(मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 के पत्र संख्या-9236/नम-2/138/नवीन जि0का0,जौनपुर/2026, दिनांक 13.03.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- जनपद जौनपुर में नवीन जिला कारागार का निर्माण कराये जाने हेतु परियोजना की लागत धनराशि रू0 17979.51 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति सहित उक्त के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0 4494.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2023-24 में शासनादेश संख्या-12/2024/884-22-4-2023-364199, दिनांक 12.02.2024 एवं द्वितीय किश्त के रूप में धनराशि रू0 7890.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2024-25 में शासनादेश संख्या-22/2025-342-22-4-2025-364199, दिनांक 24.03.2025 द्वारा प्रदान की गयी है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में जनपद जौनपुर में नवीन जिला कारागार का निर्माण कराये जाने हेतु तृतीय किश्त की धनराशि रू0 2523.05 लाख (रू० पच्चीस करोड़ तेईस लाख पांच हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करतें हैं:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्ध

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा ।

(2) इस सम्बन्ध में परियोजना हेतु मूल स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-12/2024/884/22-4-2023-364199, दिनांक 12-02-2024 में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(3) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य / मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य / मद में किया जाएगा।

(4) लेबर सेस की धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को किया जाएगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का उपभोग दिनाँक 31.03.2026 तक कर लिया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 25,23,05,000 (रुपये पच्चीस करोड़ तेईस लाख पाँच हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 025 **लेखा शीर्षक** 4070008000800 कारागारों का निर्माण **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

संख्या-25/2026/307(1)/22-4-2026-364199, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज ।
(3) मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
(4) जिलाधिकारी, जौनपुर।
(5) वरिष्ठ अधीक्षक / अधीक्षक, जौनपुर।
(6) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(7) कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ।
(8) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(9) वित्त नियंत्रक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, लखनऊ।
(10) निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।
(11) वित्त (व्यंय नियंत्रण) अनुभाग-12 / वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
(12) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

http://sha

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।